an>

Title: Speaker made valedictory reference on the conclusion of the second session of the Sixteenth Lok Sabha.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, 16वीं लोक सभा का दूसरा सत्र जो दिनांक 7 जुलाई 2014 को प्रारम्भ हुआ था आज समाप्त हो रहा है।

यह 16वीं लोक सभा का पहला बजट सत्र है और इसके दौरान 27 बैठकें हुई जो लगभग 166 घंटे तक चलीं।

वर्ष 2014-15 का रेल बजट और सामान्य बजट क्रमशः 8 और 10 जुलाई 2014 को प्रस्तुत किया गया।

13 अगस्त 2014 को डॉ. एम. तम्बिदुरई सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुने गये।

वर्ष 2014-15 के रेल बजट पर सदन में विस्तृत और गहन चर्चा हुई। यह चर्चा 13 घंटे और 16 मिनट तक चली, जिसमें 243 सदस्यों ने भाग लिया। वर्ष 2014-15 की रेल संबंधी अनुदानों की मांगें नियम 331(जी) के निलम्बन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार करने के पश्चात पारित की गयी। चूंकि विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों का गठन नहीं हुआ था और इसलिए तत्संबंधी विनियोग विधेयक पारित किया गया।

सभा में वर्ष 2014-15 के सामान्य बजट और 2011-12 की अतिरिक्त अनुदान (सामान्य) मांगों को पारित करने से पहले उन पर संयुक्त चर्चा भी हुई जो 15 घंटे और 13 मिनट तक चली और वर्ष 2011-12 की अतिरिक्त अनुदान मांगों संबंधी विनियोग विधेयक पारित किया गया।

जल संसाधन, पर्यावरण और वन, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालयों संबंधी वर्ष 2014-15 के अनुदान मांगों पर चर्चा 13 घंटे और 07 मिनट तक हुई। पहले तीनों मंत्रालय की मांगों को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की मांग और वर्ष 2014-15 के सामान्य बजट संबंधी सभी शेष मांगों को सभा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया, जिन्हें 23 जुलाई 2014 को पूर्ण रूपेण स्वीकार किया गया और तत्संबंधी विनियोग विधेयक पारित किया गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वर्ष 2014-15 का बजट लोक सभा में 18 जुलाई 2014 को पेश किया गया था। अनुदान मांगों पर चर्चा हुई और सभी मांगों को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक 30 जुलाई, 2014 को पारित किया गया।

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए वित्त विधेयक, 2014 को सदन में छह घंटे की चर्चा होने के पश्चात् पारित किया गया।

सत्र के दौरान, 20 विधेयक पुरःस्थापित किए गए तथा 13 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछेक महत्वपूर्ण विधेयकों के नाम हैं - प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2014; संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014; राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2014 और शिक्षु अधिनियम बिल।

सत्र के दौरान 540 तारांकित प्रश्नों को सूची में रखा गया था, जिसमें से 126 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार औसतन प्रतिदिन 4.84 प्रश्नों के उत्तर दिए गए, जो कि हाल के समय में एक रिकार्ड है, आपके सहयोग से किया गया। शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर 5339 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों सहित सभा पटल पर रखे गए।

सत्र के दौरान, दो विषयों पर आधे घंटे की चर्चा की गई। एक मसला " महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अनियमितताएं " पर कुँवर भारतेन्द्र सिंह तथा दूसरा " दूध के दामों में वृद्धि " पर श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा उठाया गया था। संबंधित मंत्रियों ने इन मसलों का उत्तर दिया।

सदस्यों ने प्रश्नकाल के पश्चात् तथा शाम को देर तक बैठकर अविलम्बनीय लोक महत्व के 607 मामले उठाए थे। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 354 मामले भी उठाए।

सभा में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर नियम 193 के अधीन पाँच अल्पावधिक चर्चाएं भी की गईं यथा कीमतों में वृद्धि, देश में बाढ़ एवं सूखे की स्थिति, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में एनसेफलाइटिस का फैलना, देश में महिलाओं एवं बच्चों पर बढ़ते अत्याचारों को रोकने के लिए कड़े कानूनों की आवश्यकता और देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र तैयार करने की आवश्यकता। अंतिम विषय पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी।

सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए ईराक में फंसे भारतीयों से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम, देश में गन्ना और अन्य कृषि उत्पादों के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र में सुधार की आवश्यकता, दक्षिणी कश्मीर में कौसर नाग यात्रा को रोकने का निर्णय, जिससे कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजना, सरस्वती नदी के पुनरूद्धार के लिए सरस्वती अनुसंधान संस्थान की स्थापना की आवश्यकता और विकास कार्यों के निष्पादन हेतु आवासीय कालोनियों के साथ-साथ खाली पड़ी रक्षा भूमि के लिए रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में छूट देने की आवश्यकता जैसे पांच विषय उठाए गए। इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं के प्रत्युत्तर में संबंधित मंत्री ने वक्तव्य दिया और माननीय सदस्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का भी उत्तर दिया। इनसेफलाइट्स रोग फैलने के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में उठाए गए एक मामले को सदस्यों की मांग पर नियम 193 के अधीन चर्चा में बदल दिया गया था। सरकारी कामकाज पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए तीन वक्तव्यों सहित अन्य विभिन्न विषयों पर मंत्रियों ने 47 वक्तव्य दिए। सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा 1674 पत्र सभा पटल पर रख गए।

जहां तक गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों का संबंध है, सत्र के दौरान गैर सरकारी सदस्यों के 61 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। श्री निशिकांत दुबे के राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (गारंटी) विधेयक, 2014, जो देश में असंगठित और निजी क्षेत्र में कार्यरत सभी पेंशनभोगियों को गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन के भुगतान का उपबन्ध करता है, पर विचार के प्रस्ताव पर चर्चा हुई और इसे प्रभारी सदस्य ने वापस ले लिया। विकास योजनाएं और स्कीम बनाने तथा केन्द्रीय हिमालय क्षेत्र को शामिल करते हुए पहाड़ी राज्यों के संतुलित और सर्वांगीण विकास के लिए उनके कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक परिषद, जिसे केन्द्रीय हिमालय राज्य विकास परिषद कहा जाएगा, की स्थापना का उपबन्ध करते हुए एक अन्य विधेयक पर विचार का प्रस्ताव डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने 8 अगस्त, 2014 को प्रसतुत किया, जिस पर आंशिक चर्चा हुई। डॉ. रमेश पोखरियाल "निशंक" द्वारा 11 जुलाई, 2014 को प्रस्तुत हिमालय क्षेत्र वाले राज्यों से संबंधित एक गैर सरकारी सदस्य संकल्प पर 18 जुलाई, 2014 को आगे चर्चा हुई तथा उसी दिन सभा की अनुमति से इसे वापिस ले लिया गया। श्री राजू शेट्टी द्वारा 18 जुलाई 2014 को प्रस्तुत राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित एक अन्य संकल्प पर 1 अगस्त, 2014 को आगे चर्चा हुई और यह चर्चा पूरी नहीं हो पाई।

इस सत्र में हालांकि व्यवधान और जबरन स्थगन के कारण 13 घंटे और 51 मिनट का समय नष्ट जरूर हुआ, लेकिन मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस सभा ने महत्वपूर्ण वित्तीय और अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए 28 घंटे और 10 मिनट देर तक कार्य किया, जिसके लिए मैं सभी सदस्यों की आभारी हूं।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, सभापति तालिका में सम्मिलित माननीय सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संपूर्ण संचालन में अपना सहयोग दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री, संसदीय कार्यमंत्री, विभिन्न दल, ग्रुप के नेतागण, माननीय खड़गे जी, मुख्य सचेतक और माननीय सदस्यों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं आप सभी की ओर से प्रैस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देती हूं। मैं इस अवसर पर महासचिव की उनके दक्ष और कुशल सहयोग के लिए प्रशंसा करना चाहूंगी। लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारियों को सभा के प्रति उनकी समर्पित और तत्पर सेवा के लिए सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं सभा की कार्यवाही को सुसंगठित रूप से चलाने में कुशल सहयोग प्रदान करने के लिए अनुषंगी एजेंसियों का आभार व्यक्त करती हूं।

16.18 hrs **NATIONAL SONG**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण अब वंदे मातरम् के लिए खड़े हो जाएं।

The National Song was played.

The Lok Sabha then adjourned sine die.

---

* ण्ड्ढ एददद्वड्ढथ् ड्ड्ढद्मद्दद्धद्य् ड्ढम् थ्ड्ढत्ड्ड द्दद 5.8.2014.

** ख्दय्द्धद्दड्डद्वहड्ढड्ड द्र्य्ण् ण्ड्ढ द्धड्ढहद्दड्ढदड्डड्ढड्यत्द्दद द्दढ ण्ड्ढ घ्द्धड्ढत्ड्डड्ढदद्य्.

* Eन्द्रद्वदड्ढड्ड ड्ढम् द्दद्धड्डड्ढद्धड्ढड्ड डन्न् ण्ड्ढ ण्ड्ढत्द्ध.

* Eदथ्त्द्मर्ण् य्द्धड्ढदथ्ड्ढय्त्द्दद द्दढ ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण् द्दद्धश्त्दड्ढथ्न्न् ड्डड्ढथ्त्थ्ड्ढद्धड्ढड्ड त्द ड्ढर्त्थ्.

* ग़्द्दद्य् द्धड्ढहद्दद्धड्डड्ढड्ड.

* ग़्द्दद्य् द्धड्ढहद्दद्धड्डड्ढड्ड.

* ग़्द्दद्य् द्धड्ढहद्दद्धड्डड्ढड्ड.

* ग़्द्दद्य् द्धड्ढहद्दद्धड्डड्ढड्ड.

* ग़्द्दद्य् द्धड्ढहद्दद्धड्डड्ढड्ड.

* ग़्द्दद्य् द्धड्ढहद्दद्धड्डड्ढड्ड.

* ग़्द्दद्य् द्धड्ढहद्दद्धड्डड्ढड्ड.

* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढम् थ्ड्ढत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ.

* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढम् थ्ड्ढत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ.

* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढम् थ्ड्ढत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ.

* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढम् थ्ड्ढत्ड्ड द्दद ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ.

* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढ्र्ष्म् थ्ङ्गत्ड्ड द्द ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ.

* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढ्र्ष्म् थ्ङ्गत्ड्ड द्द ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ.

* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढ्र्ष्म् थ्ङ्गत्ड्ड द्द ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ.

* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढ्र्ष्म् थ्ङ्गत्ड्ड द्द ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ.

* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढ्र्ष्म् थ्ङ्गत्ड्ड द्द ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ

* Eदथ्त्द्धर्ण् य्द्धङ्गदथ्ङ्गय्त्द्द द्ढ ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण् द्द्धश्र्त्दङ्गथ्न्र् थ्ङ्गत्ड्ड द्द ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ त्द द्ड्डड्ढ.

* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढ्र्ष्म् थ्ङ्गत्ड्ड द्द ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ

* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढ्र्ष्म् थ्ङ्गत्ड्ड द्द ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ

* च्द्रड्ढड्ढहण् ड्ढ्र्ष्म् थ्ङ्गत्ड्ड द्द ण्ड्ढ ड्ढडथ्ड्ढ.